न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व वाद प्रकरण GCMS NO 2021/181
दायरा तिथि : 10.08.2021
निर्णय दिनांक : 27-11-2024

वादी:–
पोनी बाई पत्नि मगाराम जाति सिरवी
निवासी बाली तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. अभिमन्युसिंह पुत्र दुर्गसिंहजी
2. दुष्यंतसिंह पुत्र दुर्गसिंहजी ,
3. गोपालकंवर बेवा दुर्गसिंहजी जाति राजपूत निवासी फालना गांव तहसील बाली जिला पाली (राज.)
4. मांगीलाल पुत्र कसाजी
5. श्रीमति कन्या बाई पत्नि मांगीलाल जाति सिरवी आई.ओ.सी. कॉलोनी के सामने, बाली तहसील बाली जिला पाली
6. धनाराम पुत्र कसाजी
7. बगदी देवी पत्नि धनाराम जाति सिरवी निवासी कचहरी के पीछे, बेरा धारता वाला बाली, तहसील बाली जिला पाली
8. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थिति:–

1. श्री सकाराम देवासी ..... अभिभाषक वादीया की ओर से
2. श्री दिनेश गहलोत ..... अधिवक्ता प्रतिवादी सं 4 व 5 की ओर से।
3. प्रतिवादी सं. 1 से 3 और 6, 7 अनुपस्थित
4. पैरोकार सरकार

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 27-11-2024

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादी ने ग्राम दांतीवाडा पटवार तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 100 रकबा 4.1500 हैक्टर किस्म चाही प्रथम व जाव अव्वल के संबंध में वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार प्रतिवादी सं. 1 से 3 के निहीत 11/26 हिस्से में से प्रतिवादी सं. 4 ने 15/26 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 30.03.1999 के जरिये खरीद किया, तथा इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 1, 3 के हिस्से मे शेष रही भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 20.3.1999 के प्रतिवादी सं. 5 ने खरीद किया। इस प्रकार प्रतिवादी सं. 1 व 3 से खरीद की गई भूमि की खातेदारी वादीया व प्रतिवादी सं 5 अधिकारी होने से तहसीलदार बाली को नामांतरकरण दर्ज करने के लिये निवेदन किया परंतु तहसीलदार बाली द्वारा नामांतरकरण की कार्यवाही आजतक नही की गई। वादीया ने अपने वाद में यह भी वर्णित किया कि वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड में दर्ज हिस्साकस्सी त्रुटिपूर्ण हाने से प्रतिवादी सं 4 ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार बाली दिनांक 23.09.2020 को प्रस्तुत किया था, जिसकी जांच रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 26.10.2020 को की पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में जमाबंदी में दर्ज हिस्साकस्सी 26/11 व 26/15 को तकनीकी रूप से सही नही माना और टिप्पणी की गई कि इस खाते में दर्ज हिस्साकस्सी 26/11 एवं 26/15 की जगह 11/26 व 15/26 किये जाने से ही हिस्साकस्सी दुरूस्त हो सकती है। सेग्रीगेशन के तहत जो भी हिस्साकस्सी दर्ज हुई है वह त्रुटिपूर्ण है। अतः हिस्साकस्सी सही किये जाने की टिप्पणी पटवारी हल्का द्वारा की गई। इस प्रकार रिकार्ड में दर्ज हिस्साकस्सी को शुद्ध करते हुये प्रतिवादी सं. 1 से 3 का नाम रिकार्ड से विलोपित करते हुये माफिक बेचान पत्र वादीया व प्रतिवादी सं 5 को खातेदार घोषित घोषित किया जावे व इसी अनुसार विभाजन की डिक्री जारी करते हुये प्रतिवादीगण के विरूद्ध सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अपने वादपत्र के संमर्थन में वादीया द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वादग्रस्त भूमि की जमांबदी संवत 2061 से 2064, 2053 से 2056, चालू जमांबंदी संवत 2073 से 2076, फोटोप्रति रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 20.03.1999, तहसीलदार बाली को पेश किये गये, प्रार्थना पत्र व उसकी जांच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपी पेश की गई। इन अभिलेखीय साक्ष्यों के अतिरिक्त बतौर मौखिक साक्ष्य गवाह वादीनी पौनी बाई पत्नि मगाराम के बयान कलमबद्ध कराये गये। प्रकरण में प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी सं 1 से 3 के सम्मन आबाद मकान पर चस्पा की रिपोर्ट के साथ प्राप्त होने से दिनांक 18.09.2023 को उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने के आदेश पारित किये गयें। प्रतिवादी सं 6 व 7 को जारी सम्मन दिनांक 11.01.2023 को तामीलसुदा प्राप्त होने के बावजूद नियत पेशीयों पर अनुपस्थित रहने पर आदेशिका

Scanned with CamScanner

दिनांक 18.09.2023 से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रतिवादी सं. 4 व 5 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश गहलोत के माध्यम से स्वीकारोक्ति का जवाबदावा पेश किया गया तथा प्रतिवादी सं 8 तहसीलदार बाली फॉर्मल पक्षकार होने से जवाब प्राप्त नही किया गया तथा प्रकरण में वाद बिंदु की आवश्यकता नही होने से पत्रावली को वादी साक्ष्य में रखा गया। वादी पक्ष की साक्ष्य के तौर पर वादीया के बयान के पश्चात प्रतिवादी पक्ष की साक्ष्य के तौर पर प्रतिवादी सं 4 मांगीलाल पुत्र कसाजी के बयान दिनांक 31.07.2024 को कलमबद्ध करते हुये पत्रावली को बहस के लिये रखा गया।

पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड के पश्चात वकील वादीया व प्रतिवादी सं 4, 5 के अधिवक्ता श्री दिनेश गहलोत की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीया श्री सकाराम देवासी तथा प्रतिवादी सं 4 व 5 के अधिवक्ता श्री दिनेश गेहलोत द्वारा बहस में वादपत्र व जवाब दावे के तथ्यो को दोहराते हुये वादीया एवं प्रतिवादी संख्या–05 द्वारा दिनांक 20.03.1999 को रजिस्टर्ड बेचान से प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का हिस्सा खरीद करने तथा तहसीलदार, बाली द्वारा बेचान का नामान्तरकरण वादीया व प्रतिवादी संख्या–05 के नाम दर्ज नहीं करने से माफिक बेचान रजिस्ट्री राजस्व रिकार्ड में बतौर सह खातेदार दर्ज प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का नाम विलोपित करते हुये रिकार्ड में दर्ज त्रुटिपुर्ण हिस्सा को माफिक रिपोर्ट पटवारी हल्का, भीटवाडा दुरस्त करते हुये वादीया व प्रतिवादी संख्या 05 को खातेदार घोषित किया जावे, तथा इसी घोषित खातेदारी अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की डिक्री के साथ प्रतिवादीगण के विरूद्व सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री जारी किये जाने की दलील दी। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व उभयपक्ष वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि वादग्रस्त भूमि ग्राम दांतीवाडा के हाल खसरा नंबर 100 रकबा 4.15 हैक्टर के 26/11 हिस्सा के सह खातेदार प्रतिवादी संख्या 01 से 03 एवं 26/15 हिस्सा के खातेदार प्रतिवादी संख्या–04 जमाबंदी संवत् 2061 से 2064 में दर्ज है। उक्त वादपत्र के संलग्न अन्य वादपत्र 79/2012 बअनवान् धनाराम बनाम मांगीलाल वगैरा के संलग्न जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 की प्रति के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 669 दिनांक 16.11.10 से (बेचान) मांगीलाल पुत्र कसा के हिस्सा 26/15 में से 1/2 हिस्सा धनाराम पुत्र कसा, बगदी देवी पत्नि धनाराम कौम चौधरी सा. बाली खातेदार दर्ज किया। वर्तमान जमाबंदी संवत 2074 से 2076 की प्रति के अनुसार प्रतिवादी सं 1 से 3 संयुक्त रूप से 3/6 हिस्सा प्रतिवादी सं 6 व 7 संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं 4 1/4 हिस्सा का सहखातेदार दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2061 से 2064 की प्रति में दर्ज हिस्साकस्सी 26/11 व 26/15 तकनीकी दृष्टि से सही नही मानी जा सकती। इस प्रकार अंश व हर के स्थान पर हर व अंश की संख्या लिखने के पश्चात हिस्साकस्सी 11/26 व 15/26 सही हो सकती है। इस संबंध में पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुकी है जिससे राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्साकस्सी दुरूस्ती की मांग वर्तमान अभिलेखों में दर्ज सहखातेदारान के नाम उचित है। वादीया के वादपत्र में हिस्सा दुरूस्ती के पश्चात वादीया व प्रतिवादी सं 5 द्वारा दिनांक 20.03.1999 को खरीद की गई भूमि की घोषणा चाही है परंतू वादीया ने अपने वादपत्र के पद सं. 4 में स्वयं ने यह स्वीकार किया है कि निष्पादित विक्रय विलेख में उपपंजीयक बाली ने नोट लगाया की जिला कलेक्टर के निर्णय दिनांक 01.10.1991 व उपखण्ड अधिकारी बाली के निर्णय दिनाक 28.07.1992 के अनुसार विक्रीत भूमि का खाता सिलिंग से प्रभावित नही है। **फिर भी नामांतरकरण की कार्यवाही सक्षम अधिकारी की अनुमति के बाद ही की जावे।** इस प्रकार यह स्वीकार्य तथ्य है कि बेचान रजिस्ट्रीयों में खरीद की गई भूमि सिलिंग प्रभावित होने से खरीद दिनांक 20.03.1999 के पश्चात आदिनांक तक नामांतरकरण कार्यवाही नही की गई। जब वादीया स्वयं अपने वाद में यह उल्लेखित करती है कि जिला कलेक्टर के निर्णय दिनांक 01.10.1991 व उपखण्ड अधिकारी बाली के निर्णय दिनाक 28.07.1992 के अनुसार विक्रीत भूमि का खाता सिलिंग से प्रभावित नही है। तो तहसीलदार बाली व उसके प्रतिनिधीयों ने नामांतरकरण की कार्यवाही क्यों नही की गई? इस तथ्य का स्पष्टीकरण वाद में नही किया गया तथा प्रतिवादी सं 4 व 5 का स्वीकारोक्ति का जवाबदावा प्रस्तुत करवाते हुये सिलींग प्रभावित भूमि का नोट अंकन होते हुये वादीया द्वारा इस तथ्य को छुपाते हुये उक्त वाद पेश किया है इस प्रकार वादीया एवं प्रतिवादी सं 5 द्वारा जिस भूमि की बेचान रजिस्ट्री अपने पक्ष में करवाई गई है। **उन बेचानकर्ता खातेदारान प्रतिवादी सं 1 से 3 का खाता सिलिंग प्रभावित होने से तथा इसका नोट जमाबंदी में अंकन होने से** इस न्यायालय द्वारा खातेदारी घोषणा प्रदान नही की जा सकती।

वादीया द्वारा ग्राम दांतीवाडा स्थित भूमि खसरा नंबर 100 रकबा 4.15 हैक्टर के 24/104 हिस्सा व प्रतिवादी सं 5 के 15/104 हिस्से की घोषणा खातेदारी हेतूं प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 आरटीएक्ट खारिज किया जाता है। जहां तक रिकार्ड में दर्ज त्रुटिपूर्ण हिस्साकस्सी को शुद्व किये जाने का प्रश्न है प्रतिवादी सं 4 इन्द्राज दुरूस्ती हेतू प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार **वर्तमान अधिकार अभिलेखों में दर्ज सहखातेदारान के मध्य हिस्साकस्सी दुरूस्त करवाने** हेतू स्वतंत्र है। इसी कदर डिकी पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

(दिनेश बिश्नोई)
आर.ए.एस.
पदेन सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक 27-11-24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी बाली

Scanned with CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

वादी:–

श्रीमति पोनी बाई पत्नि मगाराम जाति सिरवी निवासी बाली तह. बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. अभिमन्युसिंह पुत्र दुर्गसिंहजी,
2. दुष्यन्तसिंह पुत्र दुर्गसिंहजी,
3. गोपाल कंवर बेवा दुर्गसिंहजी, जाति राजपूत निवासी फालना गांव तहसील बाली जिला पाली (राज.)
4. मॉगीलाल पुत्र कसाजी,
5. श्रीमति कन्या बाई पत्नि कसाजी जाति सिरवी निवासी आई.ओ.सी. कॉलोनी के सामने, बाली तहसील बाली जिला पाली (राज.)
6. धनाराम पुत्र कसाजी,
7. बगदी देवी पत्नि धनाराम, जाति सिरवी निवासी कचहरी के पीछे, बेरा धारता वाला, बाली तहसील बाली जिला पाली (राज.)
8. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

राजस्व वाद प्रकरण संख्या Gcms No. 2021/181
वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात वादी द्वारा ग्राम दांतीवाडा स्थित भूमि खसरा नंबर 100 रकबा 4.15 हैक्टर के घोषणा खातेदारी हेतु प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है। इसी कदर डिकी पर्चा जारी किया।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27-11-2021को जारी किया गया।

मोहर

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

(दिनेश विश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner